

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2009/आषाढ़ 19, 1931

[र.रा.रा.क्षे.दि. सं. 90

No. 104]

DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2009/ASADHA 19, 1931

[N.C.T.D. No. 90

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जुलाई, 2009

संख्या फा. 06/17/2008-न्याय/अधीक्षक न्याय/1264

-1269.—अद्यतन यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 18 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित 05 अभ्यर्थियों को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किए जाने पर अपने-अपने कार्यालयों में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा आधार पर दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम (श्री/श्रीमती)
1.	सुशील अनुज त्यागी
2.	राकेश कुमार सिंह
3.	पंकज अरोरा
4.	धर्मेन्द्र सिंह
5.	अमनजीत सिंह

2. ये नियुक्तियाँ पूर्णतया अस्थायी आधार पर हैं तथा अभ्यर्थियों के चरित्र पूर्ववृत्तों के सत्यापन तथा जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो,

के अनुसार होगी। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित दावा गलत है तो बिना किसी आगामी कारणों तथा असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन को जाने वाली आगामी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी।

3. उपर्युक्त नियुक्तियों अद्यतन तिथि तक तथा समय-समय पर दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर यथा लागू अन्य आदेशों/निर्देशों के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के उपबंधों के अनुसार होगी।

4. दिल्ली न्यायिक सेवा में तथा अपर्युक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता अन्य चुने गए अभ्यर्थियों के समान रही रहेगी जो अद्यतन तिथि तक यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक नियमावली, 1970 के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार वरीयता सूची में उन्हें दी गई है।

5. पद 9000-14500 रुपये (पूर्व संशोधित)+ सामान्य भत्ते जैसा समय-समय पर इस संबंध में लागू हो, के अनुसार है।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND  
LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 10th July, 2009

No. F.6/17/2008-JudL/supt law/1264-1269.—In  
pursuance of the provisions of rule 18 of the Delhi Judicial

